

—तरेपन—

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्या-क0नि0 5-1023 / 11-2005-500(137)-2003
लखनऊ, दिनांक 15 मार्च, 2005
अधिसूचना

प0आ0-99

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची 1 ख के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण समनुदेशन की ऐसी लिखित, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 54 सन् 2002) की धारा 3 के अधीन गठित और गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में निष्पादित हो, पर हस्तान्तरण के रूप में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को अस्सी रुपये प्रति हजार से घटाकर एक रुपया प्रति हजार करते हैं, प्रतिबन्ध यह है कि उक्त शुल्क एक लाख से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण :-इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ शब्द (1) 'ऐसेट रिकन्स्ट्रक्शन' (2) 'बैंक' (3) 'बैंकिंग कम्पनी' (4) 'ऋण ग्रहीता' (5) 'तत्स्थानी नया बैंक' (6) 'व्यतिक्रम' (7) 'वित्तीय सहायता' (8) 'वित्तीय आस्तित्व' (9) 'वित्तीय संस्था' (10) 'आडमान' (11) 'गैर निष्पादन आस्तियों' (12) 'सम्पत्ति' (13) 'रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी' (14) 'प्रतिभूतिकरण' (15) 'प्रतिभूतिकरण कम्पनी' (16) 'प्रतिभूति हित' (17) 'समनुबंगी बैंक' के वही अर्थ होंगे जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में उनके लिए दिये गये हैं।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
शेखर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N.5-1023/XI-2005-500(137)-2003, dated March 15, 2005

No. K.N.5-1023/X1-2005-500(137)-2003
Lucknow, Dated March 15, 2005

Notification

In exercise of the powers under clauses (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, The Governor is pleased to reduce from the date of its publication in the Gazette, the stamp duty on instruments of assignment of debt by Financial Institutions chargeable as Conveyance under clause (a) or Article 23 of Schedule 1-B or the aforesaid Act executed in favour of an Asset Reconstruction Company constituted under section 3 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act no. 54 of 2002) and registered under the Companies Act, 1956 (Act no. 1 of 1956) by the Department of Non-Banking Supervision, Reserve Bank of India, Mumbai, from rupees eighty per thousand to rupee one per thousand, provided that the duty shall not exceed rupees one lakh.

Explanation :-For the purpose of this notification the words (1) “asset reconstruction” (2) “bank” (3) “banking company” (4) “borrower” (5) “corresponding new bank” (6) “default” (7) “financial assistance” (8) “financial asset”,(9) “financial institution” (10) “hypothecation” (11) “non-performing asset” (12) “property” (13) “Reconstruction company” (14) “Securitization” (15) “Securitization company” (16) “Security interest” (17) “subsidiary bank” shall have the meaning assigned to them under the Securitization and Reconstruction of financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

By order,
Sd/-Illegible
SHIEKHAR AGARWAL,
Pramukh Sachiv.